"साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन नीति–2022

हितग्राही चयन :–

1. कोई भी आवेदक स्वयं, फर्म, संस्था, स्व–सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठन आदि यदि दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में वांछित स्थान पर "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" हेतु वाहन स्वयं आवेदक का होगा या किराये की दशा में आवेदक से अनुबंधित होगा।
2. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित दुग्ध संघ द्वारा प्राप्त आवेदन एवं आवेदित स्थान का परीक्षण किया जाएगा। तदोपरांत उपयुक्त पाए जाने पर दुग्ध संघ द्वारा "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन हेतु आगामी कार्यवाही की जाएगी। प्राप्त आवेदनों में यदि कोई ऐसा आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा जिसका संघ में रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में संबंधित के विरूद्ध संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को आवंटन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
3. दुग्ध संघ "साँची मोबाइल पार्लर" का आवंटन " प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार पर करेंगे। यह योजना सभी हिग्राहियों के लिए खुली रहेगी। हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिये।
4. यदि कोई हितग्राही "साँची मोबाइल पार्लर" संचालन हेतु किसी शासकीय योजना के अंतर्गत स्वीकृति चाहता है तो वह संबंधित विभाग से उस योजना अंतर्गत लाभ ले सकता है।
5. ई–रिक्शा/वाहन का मॉडल/वाहन कंपनी के चयन के संबंध में दुग्ध संघ निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा परंतु सुनिश्चित हो कि पारदर्शिता व प्रतियोगिता बनी रहे साथ ही आवेदकों के पास पर्याप्त विकल्प रहें । वाहन "साँची मोबाइल पार्लर" के लिए अनुकूल होना चाहिये। दुग्ध संघ बैंकों के माध्यम से हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने में समन्वय करेंगे। बैंक का चयन हितग्राही के स्वविवेक से होगा इसमें दुग्ध संघों की भूमिका मात्र समन्वयक की रहेगी।
6. यदि कोई कंपनी अथवा किसी प्रकार की संस्था "साँची मोबाइल पार्लर" संचालित करना चाहती है तो उसे भी इसी प्रक्रिया के तहत अनुमति जारी की जाएगी।
7. दुग्ध संघों द्वारा बैंकों और हितग्राहियों के मध्य समन्वयक की भूमिका का वहन किया जाएगा।
8. संघ की लाभात्मकता सुनिश्चित करते हुए दुग्ध संघ अपने स्तर पर "साँची मोबाइल पार्लरों" हेतु कोई भी वित्तीय या गैर–वित्तीय व्यावसायिक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सक्षम होंगे।
9. वर्तमान में जिन आवेदकों के एमपीसीडीएफ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के विरूद्ध आर्थिक अनियमितता संबंधी किसी भी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो एवं आर.आर.सी की कार्यवाही प्रचलन में हो ऐसे आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसे आवेदनर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

General Manager (Mktg.)
Indore Sahakari Dugdh Sangh Mydt.
Manglia, INDORE (M.P.)

प्रक्रिया :–

10. दुग्ध संघों द्वारा हितग्राहियों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने हेतु एक सूची तैयार की जावेगी। उन दस्तावेजों के आधार पर "साँची मोबाइल पार्लर" स्वीकृति/आवंटन के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।
दस्तावेज़ो की सूची :–

- समस्त दस्तावेजों के साथ पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र।
- वाहन के नियमानुसार संपूर्ण दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- FSSAI लायसेंस/रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
- दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज।

11. दुग्ध संघ द्वारा "साँची मोबाइल पार्लर" की पहचान हेतु एक यूनिक नंबर आवंटित किया जाएगा। हितग्राही से प्रत्येक "साँची मोबाइल पार्लर" संचालन की अधिकारिता प्रदान करने हेतु रू 5000 (पांच हजार) सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त किए जाएंगें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा निधि आधी अर्थात रू 2500/– (रू दो हजार पाँच सौ) होगी। कार्य समाप्ति के 6 माह बाद लेखा मिलान पश्चात एंव सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा नो डयूज दिये जाने पर इस सुरक्षा/प्रतिभूति राशि में से रू 4000 (चार हजार) की राशि वापिस की जावेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा/प्रतिभूति राशि में से रू 2000 (रू दो हजार) की राशि वापिस की जावेगी।
12. दुग्ध संघ द्वारा "साँची मोबाइल पार्लर" हेतु न्यूनतम अर्हताएं (*स्पेसिफिकेशन*) निर्धारित की जाएंगी जिनमें फ्रीजर, डीप–फ्रीजर व नार्मल वस्तु रखने का स्थान, लाऊड स्पीकर, हैंड बिलिंग सिस्टम अनिवार्यतः शामिल होंगे। अन्य न्यूनतम अर्हताएं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित की जा सकेंगी।
13. आवेदक को "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन होने के पश्चात् एक माह की अवधि में जीएसटी की प्रति दुग्ध संघ में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
14. "साँची मोबाइल पार्लर" का संचालन पूर्णतः आवेदक को स्वयं के खर्चे पर करना होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को स्वंय के स्तर से हस्तांतरित या किराये पर नही दिया जा सकेगा।

सामग्री प्रदाय :–

15. "साँची मोबाइल पार्लर" को केवल अग्रिम भुगतान के आधार पर सामग्री (*दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद*) प्रदायित की जाएगी। सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि को अग्रिम नही माना जावेगा। राशि अग्रिम प्राप्त नही होने पर सामग्री नही दी जावेगी।
आवेदक स्वयं, फर्म, संस्था, स्व–सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठन आदि को साँची के समस्त दूध, दुग्ध उत्पाद एवं साँची के समस्त उत्पाद दुग्ध संघ में इस उद्देश्य हेतु पृथक से सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त कर, सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा वितरक दर पर या पृथक से वितरक नियुक्त कर, वितरक द्वारा रिटेलर दर पर प्रदाय किए

...ative Dairy Federation BHOPAL

जाएंगे। "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को सामग्री वितरक दर पर दी जाए या रिटेलर दर पर इस हेतु संघ की लाभात्मकता के दृष्टिगत दुग्ध संघ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। यह ध्यान रखा जावे कि दुग्ध संघ एवं "साँची मोबाइल पार्लर" के मध्य केवल एक चैनल होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक द्वारा दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों को उपभोक्ता मूल्य पर ही विक्रय किया जावेगा।

16. "साँची मोबाइल पार्लर" द्वारा केवल उपभोक्ता को ही सामग्री विक्रय की जाएगी। किसी भी स्थिति में साँची के वितरक/पार्लर/बूथ/एजेंसी को सामग्री विक्रय नही की जाएगी। ऐसा करते पाये जाने पर "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक का कार्यादेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।
17. आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। इस बाबत् रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र (परिशिष्ट–'अ') अनुसार प्राप्त किया जावेगा।
18. "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन नीति–2022 के प्रावधानों या किसी भी अंश को एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघों की किसी भी निविदा, अभिरूचि की अभिव्यक्ति, आवेदन प्रक्रिया या अनुबंध आदि के लिए उदाहरण, बैंचमार्क या आधार नही माना जाएगा।

रूट निर्धारण :–

19. "साँची मोबाइल पार्लर" का पारदर्शी प्रक्रिया से रूट निर्धारण वर्तमान में करने अथवा भविष्य में करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होंगे।
20. "साँची मोबाइल पार्लर" दुग्ध संघों द्वारा स्थापित किसी भी स्थायी पार्लर से कितने मीटर की परिधि में सामग्री विक्रय हेतु खड़े नही हो सकेंगे, यह उस निकाय में विक्रय की संभावनाओं एवं उपभोक्ताओं की मांग की प्रतिपूर्ति के दृष्टिगत निर्धारित दूरी व उल्लघंन की दशा में पेनल्टी का निर्धारण संबंधित दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा।

अन्य शर्तें :–

21. "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को विद्यमान समस्त कानून अथवा नियम का पालन करना आवश्यक होगा। किसी भी नियम/कानून का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी। "साँची मोबाइल पार्लर" संबंधित व्यक्ति की संपत्ति होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेजों, शासन, नगर निगम, यातायात के प्रचलित नियमों के पालन, किराया/फीस व पालन न होने के स्थिति में पैनल्टी एवं वैधानिक कार्यवाही का पूर्ण दायित्व "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक का होगा।
22. "साँची मोबाइल पार्लर" की कार्य अवधि, कार्य संतोषप्रद होने पर आगामी आदेश तक निरंतर जारी रखी जावेगी।
23. "साँची मोबाइल पार्लर" का निरीक्षण एवं इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों का परीक्षण दुग्ध संघ परिसर में प्रथम बार चयन के समय किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा। "साँची मोबाइल पार्लर" मापदंडो के

State Cooperative Dairy Federation BHOPAL

अनुरूप पाए जाने पर ही कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। कार्य आवंटन पश्चात् ''साँची मोबाइल पार्लर'' के निर्धारित मापदडों में बदलाव करने/आवश्यक दस्तावेज न होने की स्थिति में उसका कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा।

24. ''साँची मोबाइल पार्लर'' संचालक द्वारा दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ विक्रय नही किया जा सकेगा जो दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित पदार्थों के समानान्तर अथवा प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों के दूध एवं दुग्ध उत्पाद हों या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।
25. किसी भी ''साँची मोबाइल पार्लर'' के संचालक की मृत्यु होने पर ''एमपीसीडीएफ के पार्लर संचालक के मृत्यु होने पर हस्तांरण'' संबंधी नियम/निर्देश लागू होंगे।
26. ''साँची मोबाइल पार्लर'' अहस्तांतरणीय रहेगा।
27. दुग्ध संघ द्वारा ''साँची मोबाइल पार्लर'' संचालक को दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सकने पर ''साँची मोबाइल पार्लर'' आवंटन निरस्ती या अन्य को आवंटन आदि की कार्यवाही के लिए दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में एजेंट कार्य दुग्ध संघ द्वारा समाप्त कर दिया जावेगा। कार्य आवंटन निरस्त होने के पश्चात् संबंधित ''साँची मोबाइल पार्लर'' संचालक साँची का ब्राण्ड नेम, लोगो आदि का उपयोग नही कर सकेगा। बैंक लोन आदि होने की स्थिति में संपूर्ण लोन राशि जमा करने की जवाबदारी संबंधित ''साँची मोबाइल पार्लर'' संचालक की होगी।
28. ''साँची मोबाइल पार्लर'' को प्रदाय की गई सामग्री की वापसी की कोई प्रक्रिया नही होगी।
29. ''साँची मोबाइल पार्लर'' आवंटन पश्चात् ''साँची मोबाइल पार्लर'' पर किसी भी अन्य कम्पनी या उत्पाद के विज्ञापन करवाने की अनुमति नही होगी। ''साँची मोबाइल पार्लर'' पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन के साँची ब्राण्ड के विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होंगे। एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ द्वारा किसी कम्पनी, ब्राण्ड या उत्पाद के साँची ब्राण्ड के साथ संयुक्त विज्ञापन हेतु यदि बार्टर डील की जाती है तो तदानुसार एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ के निर्देश पर ''साँची मोबाइल पार्लर' पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जावेंगे। साथ ही एमपीसीसीएफ या दुग्ध संघ द्वारा किसी कंपनी से टाईअप करने पर संबंधित कंपनी के उत्पाद भी ''साँची मोबाइल पार्लर'' संचालक को अनिवार्य रूप से विक्रय करने होंगे।
30. ''साँची मोबाइल पार्लर'' के आवेदन प्रपत्र/आवंटन की प्रक्रिया एवं उस पर दी हुई समस्त शर्तें अनुबंध का भाग मानी जावेंगी।
31. ''साँची मोबाइल पार्लर'' में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के माल का विक्रय नही किया जावेगा और ना ही बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, मदिरा अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय किया जाएगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर उक्त ''साँची मोबाइल पार्लर'' को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
32. यदि ''साँची मोबाइल पार्लर'' संचालक एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद आर्बीटेशन हेतु प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एव बंधकारी होगा । निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीटेशन की

M.P. State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

कार्यवाही आर्बीटेशन एंड कौंसिल अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

33. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।

34. समस्त विवादों के निराकरण के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र वह शहर होगा जहाँ संबंधित दुग्ध संघ का मुख्यालय होगा ।

35. समय–समय पर एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देश पत्र, परिपत्र का परिपालन करना "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक पर बंधनकारी होगा।

36. आवेदन/अनुबंध की शर्तों/कंडिकाओं में टंकण त्रुटि एवं अस्पष्टता होने से इसको स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

"साँची मोबाइल पार्लर" हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

स्वयं का प्रमाणित फोटो

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकरी,
.... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

....

1. अ) आवेदक / प्रोपराइटर का नाम : ....

   ब) पिता / पति / (*फर्म, संस्था, स्व–सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठन आदि*) का नाम : ....

2. आवेदक / प्रोपाइटर की शैक्षणिक योग्यता: ....

3. पताः

   अ) स्थाई पताः (*आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें*) (*दूरभाष / मोबाइल नंबर के साथ*) ....

   ब) पत्र व्यवहार का पताः (*दूरभाष / मोबाइल नंबर के साथ*) ....

4. वर्तमान व्यवसाय / कार्यः
   – व्यवसाय का प्रकार ....
   – व्यवसाय स्थान का पता ....

5. आवेदित स्थल का पताः ....

6. वित्तीय स्थितिः
   – वर्तमान व्यवसाय की लागत
   – वर्तमान व्यवसाय से आय
   – चल / अचल संपत्ति का विवरण
   – "साँची मोबाइल पार्लर" व्यवसाय हेतु लगाई जाने वाली पूंजी

7. दूध / दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का कोई अनुभव (*हाँ / नही*): (*दस्तावेज़ संलग्न करें*) ....

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL
6

८. किसी तरह का अपराधिक / न्यायालयीन प्रकरण (*हाँ / नहीं*): ....

"साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका / चुकी हूँ और मान्य करता / करती हूँ। अतः मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक / प्रोपराइटर का नाम :

....

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

परिशिष्ट 'अ'

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1– मुझ शपथग्रहिता द्वारा .... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ... द्वारा आमंत्रित ... . शहर में ''साँची मोबाइल पार्लर'' संचालन कार्य हेतु आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक .... शहर **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**
....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... शहर **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

अनुबंध पत्र का प्रारूप

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ... (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमति/कु. .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... आयु .... वर्ष, निवासी .... (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता हैं :–

1. अ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा साँची दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर .... "साँची मोबाइल पार्लर" से दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद विक्रय हेतु अधिकृत किया है।
   ब. यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर, यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नही किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किंतु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा।
   स. "साँची मोबाइल पार्लर" की कार्य अवधि, कार्य संतोषप्रद होने पर आगामी आदेश तक निरंतर जारी रखी जावेगी।
   द. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस अनुबंध समाप्त कर सकेगा।
2. अ. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति के वक्त रू ..../– बतौर प्रतिभूति राशि .... दुग्ध संघ में जमा करेंगे, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
   ब. यह कि भविष्य में सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
   स. यह कि सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि से "साँची मोबाइल पार्लर" संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
   द. यह कि द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा "साँची मोबाइल पार्लर" की पहचान हेतु एक यूनिक नंबर आवंटित किया जाएगा। हितग्राही से प्रत्येक "साँची मोबाइल पार्लर" संचालन की अधिकारिता प्रदान करने हेतु रू 5000 (पांच हजार) सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त किए जाएगें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा निधि आधी अर्थात रू 2500/– (रू दो हजार पाँच सौ) होगी। कार्य समाप्ति के 6 माह बाद लेखा मिलान पश्चात एंव सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा नो डयूज दिये जाने पर इस सुरक्षा/प्रतिभूति राशि में से रू 4000 (चार हजार) की राशि वापिस की जावेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा/प्रतिभूति राशि में से रू 2000 (रू दो हजार) की राशि वापिस की जावेगी।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

9

इ. द्वितीय पक्ष को एफएसएसएआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा अन्य समस्त वैद्यानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशील हैं तथा भविष्य में प्रभावशील होंगे, अपने व्यय से बनवाकर अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होंगे।

3. अ. द्वितीय पक्ष को आवंटित इस "साँची मोबाइल पार्लर" को नीचे दर्शाई गई समयावधि में चलाना होगा।

समय	से	समय
प्रातः..................बजे	से	........................बजे
सांय..................बजे	से	........................बजे

ब. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों की विक्रय मूल्य तालिका "साँची मोबाइल पार्लर" पर लगाना आवश्यक होगा।

स. उपभोक्ता यदि दूध की "घर पहुँच सेवा" चाहता है तो द्वितीय पक्ष "घर पहुँच सेवा" के लिए बाध्य होगा। "घर पहुँच सेवा" सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

द. संचालक को दोनों समय सुबह–शाम दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय करना अनिवार्य होगा।

4. अ. "साँची मोबाइल पार्लर" द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थों का विक्रय लायसेंस (नगर निगम/अन्य निकाय से) द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।

ब. "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को विद्यमान समस्त कानून अथवा नियम का पालन आवश्यक होगा। किसी भी नियम/कानून का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी। "साँची मोबाइल पार्लर" संबंधित व्यक्ति की संपत्ति होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेजों, शासन, नगर निगम, यातायात के प्रचलित नियमों के पालन, किराया/फीस व पालन न होने के स्थिति में पैनल्टी एवं वैधानिक कार्यवाही का पूर्ण दायित्व "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक का होगा।

स. यह कि "साँची मोबाइल पार्लर" में फ्रिज/डीप–फ्रीजर की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।

द. "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक द्वारा दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ विक्रय नही किया जा सकेगा जो दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित पदार्थों के समान्तर अथवा प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों के दूध एवं दुग्ध उत्पाद हों या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।

इ. यह कि "साँची मोबाइल पार्लर" हेतु वाहन द्वितीय पक्ष का होगा। किराये की दशा में द्वितीय पक्ष से अनुबंधित होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" पर होने वाले व्यय जैसे भूमि–किराया, विद्युत, पानी, ईधन व्यय, रख–रखाव एवं अन्य समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार कार्यालय में जमा किया जावेगा।

ई. यह कि द्वितीय पक्ष "साँची मोबाइल पार्लर" का अनुचित प्रयोग नही करेंगे तथा "साँची मोबाइल पार्लर" एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गंधरहित रखेंगे।

ate Cooperative Dairy Federation BHOPAL

5\. अ. प्रथम पक्ष के सुपरस्टॉकिस्ट/अधिकृत वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के सुपरस्टॉकिस्ट/अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।

ब. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिये स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेनदेन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

स. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही माल विक्रय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष की एजेंसी तुरंत समाप्त की जा सकेगी।

द. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाए गए एडवांस क़ार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गयी अग्रिम राशि निर्धारित तिथि के पूर्व दुग्ध संघ के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गयी हेराफेरी का कृत्य गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।

इ. "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक द्वारा दूध विक्रय अग्रिम कार्ड, "साँची मोबाइल पार्लर" किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नकदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नही दी जावेगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नकदी राशि जमा करना अति–आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावेगी।

6\. "साँची मोबाइल पार्लर" को केवल अग्रिम भुगतान के आधार पर सामग्री (*दूध एवं साँची के समस्त उत्पाद*) प्रदायित की जाएगी। सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि को अग्रिम नही माना जावेगा। राशि अग्रिम प्राप्त नही होने पर सामग्री नही दी जावेगी।

आवेदक स्वयं, फर्म, संस्था, स्व–सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठन आदि को साँची के समस्त दूध, दुग्ध उत्पाद एवं साँची के समस्त उत्पाद दुग्ध संघ में इस उद्देश्य हेतु पृथक से सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त कर, सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा वितरक दर पर या पृथक से वितरक नियुक्त कर, वितरक द्वारा रिटेलर दर पर प्रदाय किए जाएंगे। "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को सामग्री वितरक दर पर दी जाए या रिटेलर दर पर इस हेतु संघ की लाभात्मकता के दृष्टिगत दुग्ध संघ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। यह ध्यान रखा जावे कि दुग्ध संघ एवं "साँची मोबाइल पार्लर" के मध्य केवल एक चैनल होगा। "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक द्वारा दूध एवं साँची के समस्त उत्पादों को उपभोक्ता मूल्य पर ही विक्रय किया जावेगा।

7\. "साँची मोबाइल पार्लर" द्वारा केवल उपभोक्ता को ही सामग्री विक्रय की जाएगी। किसी भी स्थिति में साँची के वितरक/पार्लर/बूथ/एजेंसी को सामग्री विक्रय नही की जाएगी। ऐसा करते पाये जाने पर "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक का कार्यादेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।

Cooperative Dairy Federation BHOPAL

8. यह कि प्रथम पक्ष के सुपरस्टॉकिस्ट/अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बाटल की सील, गुणवत्ता एवं मात्रा आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

9. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे। इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नही रहेगी।

10. यह कि "साँची मोबाइल पार्लर" में प्रथम पक्ष द्वारा जो सामान, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ब्राडिंग मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं एवं भविष्य में उपलब्ध कराए जायेंगे एवं क्रेटस प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट फूट नुकसानी होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।

11. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट/अधिकृत वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

12. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे।

13. यह प्रथम पक्ष के विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं एवं भविष्य में समय–समय पर बनाए जायेंगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

14. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर दिये गये पार्लर का समय एवं दूध/दुग्ध पदार्थ के कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेगा।

15. यह कि इस अनुबंध की शर्तें व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी, एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।

16. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सकने पर "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन निरस्ती या अन्य को आवंटन आदि की कार्यवाही के लिए दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में कार्यादेश दुग्ध संघ द्वारा समाप्त कर दिया जावेगा। कार्य आवंटन निरस्त होने के पश्चात् संबंधित "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक साँची का ब्राण्ड नेम, लोगो आदि का उपयोग नही कर सकेगा। बैंक लोन आदि होने की स्थिति में संपूर्ण लोन राशि जमा करने की जवाबदारी संबंधित "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक की होगी।

17. "साँची मोबाइल पार्लर" में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के माल का विक्रय नही किया जावेगा और ना ही बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, मदिरा अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय किया जाएगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर उक्त "साँची मोबाइल पार्लर" को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।

State Cooperative Dairy Federation BHOPAL

18. "साँची मोबाइल पार्लर" दुग्ध संघों द्वारा स्थापित किसी भी स्थायी पार्लर से कितने मीटर की परिधि में सामग्री विक्रय हेतु खड़े नही हो सकेंगे, यह उस निकाय में विक्रय की संभावनाओं एवं उपभोक्ताओं की मांग की प्रतिपूर्ति के दृष्टिगत निर्धारित दूरी व उल्लघंन की दशा में पेनल्टी का निर्धारण संबंधित दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा।

19. "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन नीति–2022 के प्रावधानों या किसी भी अंश को एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघों की किसी भी निविदा, अभिरूचि की अभिव्यक्ति, आवेदन प्रक्रिया या अनुबंध आदि के लिए उदाहरण, बैंचमार्क या आधार नही माना जाएगा।

20. यह अनुबंध दोनो पक्षों के अधिकृत वारिसों पर भी लागू होगा। इसके लिए द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमती/कु. .... को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।

21. "साँची मोबाइल पार्लर" के आवेदन प्रपत्र/आवंटन की प्रक्रिया एवं उस पर दी हुई समस्त शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जावेंगी।

22. "साँची मोबाइल पार्लर" का निरीक्षण एवं इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों का परीक्षण दुग्ध संघ परिसर में प्रथम बार चयन के समय किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा। "साँची मोबाइल पार्लर" मापदंडो के अनुरूप पाए जाने पर ही कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। कार्य आवंटन पश्चात् "साँची मोबाइल पार्लर" के निर्धारित मापदडों में बदलाव करने/आवश्यक दस्तावेज न होने की स्थिति में उसका कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा।

23. किसी भी "साँची मोबाइल पार्लर" के संचालक की मृत्यु होने पर "एमपीसीडीएफ के पार्लर संचालक के मृत्यु होने पर हस्तांरण" संबंधी नियम/निर्देश लागू होंगे।

24. "साँची मोबाइल पार्लर" अहस्तांतरणीय रहेगा।

25. "साँची मोबाइल पार्लर" को प्रदाय की गई खाद्य सामग्री की वापसी की कोई प्रक्रिया नही होगी।

26. "साँची मोबाइल पार्लर" आवंटन पश्चात् "साँची मोबाइल पार्लर" पर किसी भी अन्य कम्पनी या उत्पाद के विज्ञापन करवाने की अनुमति नही होगी। "साँची मोबाइल पार्लर" पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन के साँची ब्राण्ड के विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होंगे। एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ द्वारा किसी कम्पनी, ब्राण्ड या उत्पाद के साँची ब्राण्ड के साथ संयुक्त विज्ञापन हेतु यदि बार्टर डील की जाती है तो तदानुसार एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघ के निर्देश पर "साँची मोबाइल पार्लर' पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जावेंगे। साथ ही एमपीसीसीएफ या दुग्ध संघ द्वारा किसी कंपनी से टाईअप करने पर संबंधित कंपनी के उत्पाद भी "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक को अनिवार्य रूप से विक्रय करने होंगे।

27. यदि "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद आर्बीटेशन हेतु प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एव बंधकारी होगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीटेशन की कार्यवाही आर्बीटेशन एंड कौंसिल अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

28. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों से संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।

29. समस्त विवादों के निराकरण के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र वह शहर होगा जहाॅ संबंधित दुग्ध संघ का मुख्यालय होगा ।

30. समय–समय पर एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देश पत्र, परिपत्र का परिपालन करना "साँची मोबाइल पार्लर" संचालक पर बंधनकारी होगा।

31. आवेदन/अनुबंध की शर्तों/कंडिकाओं में टंकण त्रुटि एवं अस्पष्टता होने से इसको स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर, समझ ली हैं एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गयी है।

दिनांक ....

गवाह :

1. हस्ताक्षर : नामः .... पताः	हस्ताक्षर 1. प्रथम पक्षकार
2. हस्ताक्षर : नामः .... पताः	हस्ताक्षर 2. द्वितीय पक्षकार

X-----------------------------X----------------------------X--------------------------------------X

–:: समाप्त ::–

MP State Cooperative Dairy Federation Ltd. BHOPAL

क्र.	साँची मोबाईल पार्लर हेतु क्षेत्र का नाम	क्र.	साँची मोबाईल पार्लर हेतु क्षेत्र का नाम
1.	नेहरू स्टेडियम	2.	स्कीम नं. 54
3.	चिड़िया घर	4.	जंजीरवाला चौराहा
5.	मेघदूत गार्डन	6.	स्टार चौराहा से खजराना
7.	अरविंदो के सामने	8.	टापू नगर
9.	अपोलो डी.बी. सिटी निपानिया	10.	कालिंदी गोल्ड
11.	ओशियन पार्क निपानिया	12.	कालानी नगर
13.	छोटा बांगड़दा	14.	भूतेश्वर
15.	महू नाका	16.	बीजलपुर रोड शिवसागर
17.	हवा बंगला	18.	गोवर्धन पैलेस
19.	फूटी कोठी	20.	चीमनबाग
21.	रेती मंडी	22.	स्मृतिनगर
23.	भवरकुऑ	24.	व्हाय.एन. रोड
25.	सिंगापुर सिटी	26.	पाटनीपुरा
27.	सिलीकॉन सिटी	28.	सिरपुर नूरानी नगर
29.	कासाग्रीन बायपास	30.	वल्लभ नगर
31.	सैटेलाईट	32.	मावला मिल
33.	एल.आई.जी. चौराहा	34.	प्रकाश नगर तीन इमली चितावद
35.	स्कीम नं. 136	36.	पालदा
37.	सुखलिया, बापट	38.	बिचौली हप्सी
39.	मांगलिया से बेस्टप्राईस बायपास	40.	रीजनल पार्क
41.	मांगलिया से राउ चौराहा बायपास	42.	बिजली नगर
43.	आर.टी.ओ. क्षेत्र	44.	मल्हार आश्रम, रामबाग, नारायण
45.	अग्रवाल पब्लिक स्कूल	46.	गुमास्ता नगर
47.	राजवाड़ा	48.	एम.ओ.जी. लाईन
49.	जवाहर मार्ग	50.	गांधीनगर
51.	बड़ा गणपति	52.	गोम्मटगिरी
53.	मडीमाता गणेश मंदिर	54.	कैट रोड
55.	संगम नगर	56.	बिचौली मर्दाना
57.	स्कीम नं. 71	58.	सुभाष मार्ग से चीमनबाग
59.	आई.टी. पार्क से तेजाजी नगर	60.	छावनी जावरा कम्पाउंड
61.	चंदन नगर	62.	छोटी ग्वालटोली
63.	सरवटे बस स्टैण्ड	64.	नंदा नगर
65.	साउथ तुकोगंज	66.	छोटी खजरानी, भमोरी
67.	जूनी इन्दौर	68.	आजादनगर
69.	गंगवाल बस स्टैण्ड	70.	रेडियो कॉलोनी
71.	मुखर्जी नगर	72.	खजराना दरगाह
73.	गीता भवन	74.	शंकरगंज से रानी लक्ष्मीबाई नगर
75.	सेंट टेरेस स्कूल	76.	भील पल्टन
77.	राजीव गांधी चौराहा	78.	आस्था टॉकीज बजरंग नगर से आई.टी.आई.
79.	सिंधी कॉलोनी	80.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
81.	सपना संगीता	82.	सावेर रोड फैक्ट्री एरिया
83.	टी. चौईथराम	84.	महालक्ष्मी नगर से नरीमन पाईंट
85.	खातीवाला टैंक	86.	आणन्द बाजार
87.	टेलीफोन नगर	88.	मांगलिया से निरंजनपुर चौराहा
89.	बंगाली चौराहा 140	90.	चन्द्रलोक चौराहा
91.	कनाड़िया रोड मानवता नगर	92.	कन्केशवरी मंदिर के पीछे बीना नगर मेन रोड
93.	तिलक नगर	94.	न्यू पलासिया
95.	शालीमार टाउनशिप	96.	बावजी नगर गुलाब बाग
97.	तुलसी नगर	98.	अमृत पैलेस
99.	गौरी नगर	100.	गोयल एवेन्यू, समर पार्क, धन्वन्तरि
101	कुशवाहा नगर पागल अस्पताल के पीछे	102.	शिवधाम तीन पुलिया
103	बर्फानी धाम मालवी नगर		

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, 2811553, 2811554,

Mobile No. 9406800317, Email – sanchi13a@gmail.com

!! सॉची मोबाईल पार्लर का आवंटन करना है !!

"प्रथम आओ प्रथम पाओ"

इन्दौर शहर मे सॉची दूध एवं दुग्ध उत्पादों के सुगम वितरण के लिए सॉची मोबाईल पार्लर आवंटन करना है। सॉची मोबाईल पार्लर के लिए हितग्राही के पास स्वयं का या किराये का अनुबंधित ई–रिक्शा वाहन होना अनिवार्य है। हितग्राहियों के आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से निर्धारित प्रारूप मे निम्न चिन्हित स्थानों पर पृथक–पृथक आवेदन आमंत्रित किए जाते है। इच्छुक व्यक्ति संस्था एवं स्वयं सहायता समूह जो दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने के इच्छुक हो, दुग्ध संघ कार्यालय मे दिनांक 22.11.2022 दोपहर 2:00 बजे तक राशि रू. 500/– (अक्षरी राशि रू. पॉच सौ मात्र) नकद जमा कर प्राप्त कर सकते है। भरे हुए प्रपत्र दिनांक 23.11.2022 अपरान्ह 2:00 बजे तक स्वीकार किए जावेंगे तथा दिनांक 25.11.2022 को आवेदकों के समक्ष खोले जावेंगे। पात्र हितग्राहियों को सॉची मोबाईल पार्लर का आवंटन "**प्रथम आओ प्रथम पाओ**" के आधार पर किया जावेगा। इस कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य नियम शर्तों की विस्तृत जानकारी **www.sanchidairy.com** से प्राप्त कर सकते है। इस सॉची मोबाईल पार्लर आवंटन मे किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है तो वह ऊपर वर्णित वेबसाईट के अलावा अन्यत्र कही भी प्रकाशित नहीं की जावेगी। आवेदक निरंतर बेवसाईट का अवलोकन करें। किसी भी अथवा समस्त आवेदन को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा।

क्र.	सॉची मोबाईल पार्लर हेतु क्षेत्र का नाम	क्र.	सॉची मोबाईल पार्लर हेतु क्षेत्र का नाम	क्र.	सॉची मोबाईल पार्लर हेतु क्षेत्र का नाम
1.	नेहरू स्टेडियम	36.	स्कीम नं. 54	71.	मुखर्जी नगर
2.	चिड़िया घर	37.	जंजीरवाला चौराहा	72.	गीता भवन
3.	मेघदूत गार्डन	38.	स्टार चौराहा से खजराना	73.	सेंट टेरेस स्कूल
4.	अरविंदो के सामने	39.	टापू नगर	74.	राजीव गांधी चौराहा
5.	अपोलो डी.बी. सिटी निपानिया	40.	कालिंदी गोल्ड	75.	सिंधी कॉलोनी
6.	ओशियन पार्क निपानिया	41.	कालानी नगर	76.	सपना संगीता
7.	छोटा बांगड़दा	42.	भूतेश्वर	77.	टी. चौईथराम
8.	महू नाका	43.	बीजलपुर रोड शिवसागर	78.	खातीवाला टैंक
9.	हवा बंगला	44.	गोवर्धन पैलेस	79.	टेलीफोन नगर
10.	फूटी कोठी	45.	चीमनबाग	80.	बंगाली चौराहा 140
11.	रेती मंडी	46.	स्मृतिनगर	81.	कनाड़िया रोड मानवता नगर
12.	भवरकुऑं	47.	व्हाय.एन. रोड	82.	तिलक नगर
13.	सिंगापुर सिटी	48.	पाटनीपुरा	83.	शालीमार टाउनशिप
14.	सिलीकॉन सिटी	49.	सिरपुर नूरानी नगर	84.	तुलसी नगर
15.	कासाग्रीन बायपास	50.	वल्लभ नगर	85.	गौरी नगर
16.	सैटेलाईट	51.	मावला मिल	86.	कुशवाहा नगर पागल अस्पताल के पीछे
17.	एल.आई.जी. चौराहा	52.	प्रकाश नगर तीन इमली चितावद	87.	बर्फानी धाम मालवी नगर
18.	स्कीम नं. 136	53.	पालदा	88.	खजराना दरगाह
19.	सुखलिया, बापट	54.	बिचौली हप्सी	89.	शंकरगंज से रानी लक्ष्मीबाई नगर
20.	मांगलिया से बेस्टप्राईस बायपास	55.	रीजनल पार्क	90.	भील पल्टन
21.	मांगलिया से राउ चौराहा बायपास	56.	बिजली नगर	91.	आस्था टॉकीज बजरंग नगर से आई.टी.आई.
22.	आर.टी.ओ. क्षेत्र	57.	मल्हार आश्रम, रामबाग, नारायण	92.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
23.	अग्रवाल पब्लिक स्कूल	58.	गुमास्ता नगर	93.	सावेर रोड फैक्ट्री एरिया
24.	राजवाड़ा	59.	एम.ओ.जी. लाईन	94.	महालक्ष्मी नगर से नरीमन पाईंट
25.	जवाहर मार्ग	60.	गांधीनगर	95.	आणन्द बाजार
26.	बड़ा गणपति	61.	गोम्मटगिरी	96.	मांगलिया से निरंजनपुर चौराहा
27.	मड़ीमाता गणेश मंदिर	62.	कैट रोड	97.	चन्द्रलोक चौराहा
28.	संगम नगर	63.	बिचौली मर्दाना	98.	कन्केशवरी मंदिर के पीछे बीना नगर मेन रोड
29.	स्कीम नं. 71	64.	सुभाष मार्ग से चीमनबाग	99.	न्यू पलासिया
30.	आई.टी. पार्क से तेजाजी नगर	65.	छावनी जावरा कम्पाउंड	100.	बावजी नगर गुलाब बाग
31.	चंदन नगर	66.	छोटी ग्वालटोली	101.	अमृत पैलेस
32.	सरवटे बस स्टैण्ड	67.	नंदा नगर	102.	गोयल एवेन्यू, समर पार्क, धन्वन्तरि
33.	साउथ तुकोगंज	68.	छोटी खजरानी, भमोरी	103.	शिवधाम तीन पुलिया
34.	जूनी इन्दौर	69.	आजादनगर		
35.	गंगवाल बस स्टैण्ड	70.	रेडियो कॉलोनी		

मुख्य कार्यपालन अधिकारी